/85/2023

संख्या-33 /2023/394785/002-16 1099 82 2020

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 सितंबर, 2023

विषय:- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में नवनिर्मित कुलपति आवास एवं कैम्प कार्यालय हेतु जी0 एस0 टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अपने पत्रांक-**1595/अनुरक्षण//2022-23-**अनुदान दिनांक **17.03.2023** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में निर्मित कुलपति एवं कैम्प कार्यालय के निर्माण पर व्यय हुए जी0 एस0 टी0 की धनराशि रू0 **20,55,868.00** अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनानदेश दिनांक **07.08.2019** द्वारा रू0 **218.05** लाख (जी0 एस0 टी0 वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 **109.00** लाख की धनराशि तथा शासनादेश दिनांक **09.03.2021** द्वारा परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 **109.05** लाख निर्गत कर दी गयी है अर्थात परियोजना हेतु शासनानदेश दिनांक **07.08.2019** द्वारा अनुमोदित लागत रू0 **218.05** लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा जी0 एस0 टी0 की धनराशि नियमानुसार देय है।

3- अवगत कराना है कि शासनादेश **संख्या-30/2023/ 392214/2023/16 1099 82 2020** दिनांक **21.09.2023** द्वारा प्रश्नगत परियोजना की अनुमोदित लागत में रू0 **218.05** लाख में जी0 एस0 टी0 की धनराशि रू0 **20.55** लाख जोड़ते हुए परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 **238.60** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के मूल लागत तथा पुनरीक्षित लागत के अंतर (जी0 एस0 टी0 मद में व्यय) की धनराशि रू0 **20.55 लाख (रूपये बीस लाख पचपन हजार मात्र)** निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों की अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- उक्त धनराशि प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-**59/2019/2504/सोलह-1-2019-9**(बजट-6)**/2016** दिनांक **07.08.2019** में उल्लिखित ''प्रायोजना में प्रस्तावित जी0 एस0 टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी'' के क्रम में अवमुक्त की जा रही है।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-**5** भाग-**1** के प्रस्तर-**369** एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक **17.03.2023** (यथा संशोधित) में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध मे होने वाला व्यय रुपये 20,55,000 (रुपये बीस लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष

(Maintenance) ... 29/9/23

REGISTRAR

No. 248 R.O. Office/Govt./2023
Date 27/09/2023

संख्या-35/2023/402563/2023 /002-16 1099 143 2020

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2023**

विषयः- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में नवनिर्मित 400 सीटेड छात्रावास हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1826/अनुरक्षण/2023 दिनांक 12.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में निर्मित **400 सीटेड छात्रावास के** निर्माण पर व्यय हुए जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 17,08,148.00 अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश-2163/सोलह-1-2019-9(बजट-11)/2011 दिनांक 02.08.2019 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 1031.38 लाख (जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से परियोजना की सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार देय है।

3- अवगत कराना है कि शासनादेश **संख्या-32/2023/394802/2023/001-16 1099 143 2020 दिनांक 25.09.2023 द्वारा** प्रश्नगत परियोजना की अनुमोदित लागत में रू0 1031.38 लाख में **जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 17.08** लाख जोड़ते हुए परियोजना की पुनरीक्षित लागत **रू0** 1048.46 **लाख की** प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के मूल लागत तथा पुनरीक्षित लागत के अंतर (जी0एस0टी0 मद में व्यय) की धनराशि **रू0** 17.08 **लाख** (रुपये सत्रह लाख आठ हजार मात्र) निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों की अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- उक्त धनराशि प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत शासनादेश-2163/सोलह-1-2019-9(बजट-11)/2011 दिनांक 02.08.2019 में उल्लिखित "परियोजना में प्रस्तावित जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी" के क्रम में अवमुक्त की जा रही है।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 (यथा संशोधित) में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,08,000 (रुपये सत्रह लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 047 **लेखा शीर्षक** 4202021051600 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-40/2023/425651/001-16 1099 62 2023

प्रेषक,

प्रभाकर चन्द्र मिश्र,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 09 नवंबर, 2023

विषय:- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में **टाइप-4 के 04 नग आवासों** के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1970/अनुरक्षण/2023, दिनांक-20.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में टाइप-4 के 04 नग आवासों के निर्माण हेतु प्रायोजना का मूल्यांकन, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में **टाइप-4 के 04** नग आवासों के निर्माण हेतु वित्त विभाग के शासनादेशों के आलोक में गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना की लागत रू० 241.89 लाख (रू० दो करोड एकतालिस लाख नवासी हजार मात्र) मूल्यांकित की गयी है। उक्त के आधार पर हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में **टाइप-4 के 04** नग आवासों के निर्माण हेतु रू० 241.89 लाख (रू० दो करोड एकतालिस लाख नवासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु अनुदान संख्या- 47 के सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में रू० 162.37 लाख (रू० एक करोड बासठ लाख सैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, दिनांक-17.03.2023 एवं संशोधित शासनादेश दिनांक-19.09.2023 में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का कार्य अनुमादन लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

(5) प्रायोजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृति है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।